

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:-4/अ0प्र0-1-7/2018

162

14/7/2021  
/पटना दिनांक-


1. विभागीय पत्रांक-2883 दिनांक-08.03.2017 में संसूचित निर्णय के आलोक में कतिपय कनीय अभियंताओं को कार्यहित में निम्नांकित रिक्त कार्य प्रशाखाओं का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक दिया जाता है:-

(i) श्री छोटे पाल (गृह जिला-अरवल), कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी, कार्य प्रशाखा, खिजसराय-1 को अपने कार्यों के अतिरिक्त उसी कार्य प्रमंडल के रिक्त कार्य प्रशाखा, अतरी का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

(ii) श्री सुनील कुमार सिंह (गृह जिला-पटना), संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी, कार्य प्रशाखा, मोतिहारी-1 को अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्य प्रमंडल, चकिया के रिक्त कार्य प्रशाखा, कल्याणपुर-3 का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।


2. पूर्व में निर्गत उक्त से संबंधित आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएँगे।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


  
(अशोक कुमार मिश्रा)  
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-7/2018 3110 /पटना दिनांक-14/7/21  
प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता-1 एवं 3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अधीक्षक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया एवं मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी/चकिया एवं मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश है कि आदेश निर्गत की तिथि से दो दिनों के अन्दर संबंधित कनीय अभियंता को अतिरिक्त प्रभार के रूप में प्राप्त उक्त कार्य प्रशाखा का प्रभार निश्चित रूप से दिलाया जाना/सौंपना सुनिश्चित करें।

  
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-7/2018 3110 /पटना दिनांक-14/7/21  
प्रतिलिपि:-संबंधित सभी कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग एवं अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-7/2018 3110 /पटना दिनांक-14/7/21  
प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अभियंता प्रमुख।